न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 72/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/132

1. राजेन्द्र पुत्र अशोक कुमार जाति अग्रवाल निवासी नजदीक बस अड्डा वार्ड नं. 13, ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा

–प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना रायसिंहनगर

–अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 6ए राजस्थान गौवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995

उपस्थिति :–

1. श्री अशोक बलाना – अधिवक्ता प्रार्थी

प्र.सं. 71/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/131

1. सुखचैन सिंह पुत्र नरवैल सिंह जाति मजबी सिख निवासी 4 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राज.

–प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना रायसिंहनगर

–अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 7 राजस्थान गौवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995

उपस्थिति :–

1. श्री गुरचरण सिंह – अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 16/8/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्र.सं. 72/2023 में प्रार्थी राजेन्द्र पुत्र अशोक कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुलिस थाना रायसिंहनगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 227/2024 सरकार बनाम इस्लाम वगै. अन्तर्गत धारा 5,8 राजस्थान गौवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 प्रकरण में जब्तशुदा ट्रक आयशर मॉडल 2024 रजि. नं. एचआर 57ए 4738 चैसिस नं. एमसी2सीएएमआरसीओपीजी095025, ईंजन नं. ई426सीडीपीजी443013 जो बतौर वजह सबूत पुलिस थाना रायसिंहनगर में जब्त है। जिसके समस्त कागजात प्रार्थी के पास हैं तथा पुलिस थाना रायसिंहनगर को वाहन की अनुसंधान में कोई जरूरत नहीं हैं। वाहन के ज्यादा दिन थाना में खड़े रहने से उसके खराब होने की संभावना है तथा प्रार्थी को वाहन की जरूरत रहती हैं। वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिऐ जाने हेतु निवेदन किया।
2. इसी प्रकार प्र.सं. 71/23 में प्रार्थी सुखचैन सिंह के द्वारा भी पुलिस थाना रायसिंहनगर में दर्ज उक्त प्रकरण में दिनांक 21.06.2024 को प्रार्थी की 10 गायें जिनमें 5 गाये ब्याई(प्रजनन) हुई व 5 गायें प्रजनन(ब्याने वाली) तथा चार बच्छडी व एक बच्छडा जो मात्र 15 से 20 दिन के छोटे बच्चे है को कब्जा पुलिस लेकर गौशाला रायसिंहनगर को सुपुर्द किया गया हैं। प्रार्थी उक्त गायों को लेकर अपने बहनोई राजेन्द्र सिंह के घर घड़साना छोड़ने जा रहा था जिस हेतु प्रार्थी को सरपंच ग्रा.पं. 9 एफएफ बडोपल प.सं. करणपुर द्वारा लेटर पैड पर दिनांक 20.06.2024 को उक्त गायें व बछडा बछडियां ले जाने हेतु तहरीर करके दी गई हैं। गउशाला में दुधारू पशुओं के लिए व प्रजनन होने वाले पशुओं के लिए धूप व गर्मी से बचाव हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती हैं। इस

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

समय प्रजनन हुई गायों तथा प्रजनन होने वाली गायों को उक्त गउशाला में पर्याप्त मात्रा में चारा, खल, चूरी व अतिरिक्त पोषण ना मिलने के कारण उक्त गायें व बछडे बछडियों में अत्यधिक कमजोरी आ जायेगी तथा बीमार हो जायेगें वर्तमान में प्रार्थी की एक गाय 8 लीटर दूध देती है जिनके गउशाला में रहने से तथा अतिरिक्त पोषण नहीं दिये जाने, गर्मी के प्रकोप के कारण एवं भरपूर मात्रा में कैल्सियम आदि नहीं मिलने के कारण दूध देने की क्षमता कम हो जायेगी जिससे प्रार्थी को प्रतिदिन कम से कम 2000/– रूपये का नुकसान होगा तथा गायों में दूध देने की क्षमता कम होने व उनके बीमार होने से भी प्रार्थी को भारी नुकसान होगा जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थी की उक्त गायें व बछड़े, बछड़ियां प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिए जाने हेतु पुलिस थाना रायसिंहनगर को आदेशित करने हेतु निवेदन किया हैं।

3. उक्त दोनों प्रार्थना पत्र दर्ज किये जाकर थानाधिकारी, पुलिस थाना रायसिंहनगर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मय संबंधित दस्तावेज केस डायरी आदि तलब किये गये। थानाधिकार पुलिस थाना रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/2299 दिनांक 18.07.2024 के द्वारा प्रतिवेदन मय केस डायरी प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार मुताबिक सूचना टोल नाका 42 एनपी को पंहुचा तो टोल नाके के पास समेजा की तरफ एक ट्रक आयसर नं. एचआर 57ए 4738 खड़ा है, जिसके पास गौरक्षक दल के अध्यक्ष श्री वीरसैन व अशोक कुमार खड़े है, जिन्होने बताया कि ट्रक रूकवाने की कोशिश की तो चालक ट्रक भगा ले आया, जिसका पीछा कर टोल नाके पर रूकवाया है। वीर सिंह वगैरा ने बताया कि ट्रक आयसर में गाय भरी हुई है। ट्रक आयसर नं. एचआर 57ए 4738 के चालक सीट पर बैठे शख्स से नाम पता पूछा तो अपना नाम इस्लाम खान पुत्र सुलैमान खान जाति मुस्लमान निवासी वार्ड नं. 15 नोहर रोड ऐलनाबाद पीएस ऐलनाबाद जिला सिरसा तथा ट्रक के परिचालक सीट पर बैठे शख्स से नाम पता पूछा तो अपना नाम गुरदयाल पुत्र बचनाराम जाति भाट निवासी वार्ड नं. 7 चक 8 ए आबादी पीएस सदर श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर का होना बताया। ट्रक भगाने का कारण पूछा तो चालक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ट्रक को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चैक किया गया तो ट्रक के अन्दर 10 गाय व 5 गायं के बच्चे कुल 15 गौवंश भरे हुए हैं। जिस पर दोनों शख्स से ट्रक में भरे हुए गौवंश के परिवहन के संबंध में कोई वैध अनुमति/परमिशन बाबत पूछा तो दोनों ने अपने पास किसी प्रकार की कोई अनुमति/परमिशन नहीं होना बताया व गौवंश को चक 4 एफएफ से कोल्हापुर (महाराष्ट्र) ले जाना बताया। इस प्रकार ट्रक में बैठे दोनों शख्स द्वारा किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति बिना चक 4 एफएफ करणपुर से कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में गौवंश का अवैध रूप से भरकर एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन करना जुर्म धारा 5/8 राजस्थान गौवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 का दण्डनीय अपराध कारित करने पर ट्रक मय उसमें भरे हुए गौवंश को जब्त किया गया। इस्लाम व गुरदयाल को गिरफ्तार किया गया। गाय व 5 बछे को गौशाला रायसिंहनगर को सुपुर्द किया गया। पशु चिकित्सक राजकीय चिकित्सालय रायसिंहनगर से मेडिकल मुआयना करवा कर मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना जरिए नोटिस दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अभियुक्तगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अभियुक्तगण इस्लाम खान व गुरदयाल से पूछताछ की जाकर पूछताछ रिपोर्ट अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेसी करवाया जाकर सब जैल रायसिंहनगर में दाखिल करवाया गया। प्रकरण हाजा के आरोपीगण इस्लाम खान व गुरदयाल की माननीय न्यायालय रायसिंहनगर द्वारा जमानत स्वीकार की जा चुकी हैं। दोनों आरोपीगण के खिलाफ जुर्म धारा 5/8 राज. गौवंश पशु अधिनियम 1995 बखूबी प्रमाणित हैं। अभियुक्तगण का पूर्व अपराधिक रिकार्ड संलग्न पत्रावली हैं। जब्तशुदा गाय को गौशाला रायसिंहनगर में जरिये

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

रसीद सुपुर्द की गई थी। जब्तशुदा गाय के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका हैं। प्रकरण हाजा में जब्त गायों से कोई अनुसंधान शेष नहीं हैं। जब्त गायों की कोई आवश्यक्ता नहीं हैं। वाहन ट्रक आयसर नं. एचआर 57ए 4738 के मालीक राजेन्द्र कुमार से अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है। प्रकरण हाजा में जब्त ट्रक से कोई अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण हाजा में जब्त ट्रक की कोई आवश्यक्ता नहीं हैं।

4. प्रार्थीगण राजेन्द्र एवं सुखचैन सिंह के अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्रों पर सुना गया। अधिवक्तागण प्रार्थीगण अपनी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जब्तशुदा गौवंश तथा वाहन की अनुसंधान में पुलिस को आवश्यक्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी सुखचैन सिंह को जब्तशुदा गौवंश तथा प्रार्थी राजेन्द्र को जब्तशुदा वाहन सुपुर्द किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

5- अधिवक्तागण प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। प्रतिवेदन थानाधिकारी पुलिस थाना रायसिंहनगर का अवलोकन किया। पत्रावलियों का परिशीलन किया। थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया। अधिनियम की धारा 6ए के अनुसार "6ए. परिवहन के साधनों की जब्ती : (1) जब कभी भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया जाता है, तब ऐसे अपराध को करने में प्रयुक्त कोई भी परिवहन साधन जब्त किया जा सकेगा। (2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई परिवहन साधन इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने के संबंध में अभिगृहित किया जाता है, वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, उसे अभिगृहित करने वाले व्यक्ति द्वारा बिना किसी अनुचित विलंब के, सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी और चाहे ऐसे अपराध के किए जाने के लिए अभियोजन संस्थित किया गया हो या नहीं, सक्षम प्राधिकारी, जिसका उस क्षेत्र पर अधिकारिता है जहां उक्त परिवहन साधन अभिगृहित किया गया था, यदि यह समाधान हो जाता है कि उक्त परिवहन का साधन का उपयोग इस अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने के लिए किया गया था, तो वह उक्त परिवहन साधन को जब्त करने का आदेश दे सकेगा" धारा 7 के अनुसार "7. अभिगृहित गोवंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा :– (1) जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा गोवंशीय पशु अभिगृहित किया जायें तो अभिगृहित किये गये गोवंशीय पशुओं की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सी को या राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के उपबंधों के अधीन शासित किसी गौशाला या किसी गोसदन को सौंपी जा सकेगीः (2) जब कभी कोई मामला अंतिम रूप से निपटा लिया जाय तो गोवंशी पशुओं की अभिरक्षा या स्थायी रूप से सौंपे जाने के बारे में आगे के आदेश सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किये जायेंगे जो उचित समझी जावे।"

6- हस्तगत प्रकरणों में प्रार्थी सुखचैन सिंह द्वारा निवेदन किया गया हैं कि वे गोवंशीय पशु 4 एफएफ से घड़साना लेकर जा रहे थे लेकिन पुलिस केस डायरी एफआईआर नं. 227 अनुसार सुखचैन सिंह उक्त पशु एवं वाहन की जब्ती के समय साथ नहीं थे। वाहन में इस्लाम खान व गुरदयाल मौजूद थे। जिनके द्वारा पूछताछ करने पर गौवंश को कोल्हापुर महाराष्ट्र ले जाना स्वीकार किया हैं। प्रार्थी राजेन्द्र के द्वारा जब्तशुदा वाहन थाना में खड़े रहने के कारण खराब होने की संभावना के मध्यनजर सुपुर्दगी में दिए जाने हेतु निवेदन किया गया हैं। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना रायसिंहनगर द्वारा वाहन एवं गौवंशीय पशु की जब्ती की सूचना न्यायालय को नहीं दी गयी हैं जबकि धारा 6ए के तहत ऐसे वाहन के अभिगृहण की रिपोर्ट थानाधिकारी को न्यायालय को प्रस्तुत करनी चाहिए थी। पुलिस रिपोर्ट अनुसार वाहन व गौवंश की जब्ती के समय चालक एवं परिचालक के पास से किसी प्रकार का वैध अनुमति/परमिशन नहीं होना नहीं पाया गया हैं। जो कि प्रथम दृष्टया धारा

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

3/5 का उल्लंघन होने के कारण धारा 6/8 के तहत दण्डनीय हैं। प्रार्थीगण सुखचैन सिंह व राजेन्द्र के द्वारा अपने प्रार्थना पत्रों के साथ इस प्रकार का कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया हैं जिसके आधार पर उनके कथनों पर विश्वास किया जा सके। अधिनियम की धारा 11 के अनुसार "सबूत का भार– जहां किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाये वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपराध नहीं किया था।" अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण सुखचैन सिंह व राजेन्द्र के प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

7. अतः प्रार्थना पत्र सुखचैन सिंह बाबत गौवंशीय पशुओं को प्रार्थी को सुपुर्द करने तथा प्रार्थना पत्र राजेन्द्र जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने का अस्वीकार किया जाता हैं तथा आदेश दिया जाता हैं कि जब्तशुदा गौवंशीय पशु जो कि गौशाला रायसिंहनगर को सुपुर्द किये गये हैं प्रकरण में अंतिम निर्णय होने तक गौशाला रायसिंहनगर की ही सुपुर्दगी में रहेंगे। थानाधिकारी रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्थान गौवंशीय पशु(वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 6ए के तहत अभिगृहित वाहन के संबंध में प्रकरण तैयार कर अविलम्ब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16/08/24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)